



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222506  
CG-DL-E-16102020-222506

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3231]  
No. 3231]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

का.आ. 3645(अ).—केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, मद सं. (xvii) और मद सं. (xviii) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“(xvii) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, असम सरकार, स्वास्थ्य भवन, हेंग्रावारी, गुवाहटी-781036 ।

(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)

(xviii) (क) कृषि निदेशक, मध्य प्रदेश सरकार, किसान कल्याण और कृषि विकास निदेशालय, दूसरा तल, ‘सी’ विंग, विध्यांचल भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) – 462004

(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)

(ख) कृषि निदेशक, कृषि और किसान कल्याण विभाग,  
हरियाणा सरकार, कृषि भवन, सेक्टर-21, पंचकुला  
(हरियाणा) - 134112

(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की  
अवधि के लिए)।

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1]

अतीश चंद्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 301(अ), तारीख 27 फरवरी, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 2127(अ), तारीख 29 जून, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2020

**S.O. 3645(E).**—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, number G.S.R. 301, dated the 27<sup>th</sup> February, 1971, namely:-

In the said notification, for items (xvii) and (xviii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

“(xvii) Director of Health Services, Directorate of Health Services, Government of Assam, Swasthya Bhawan, Hengrabari, Guwahati-781036.

(For a period of three years from the date of publication of this notification)

(xviii)(a) Director of Agriculture, Government of Madhya Pradesh, Directorate of Farmer Welfare and Agriculture Development, 2<sup>nd</sup> Floor, ‘C’ Wing, Vindhyaachal Bhavan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)-462004.

(For a period of three years from the date of publication of this notification)

(b) Director of Agriculture, Agriculture and Farmers Welfare Department, Government of Haryana, Krishi Bhavan, Sector 21, Panchkula (Haryana)-134112.

(For a period of three years from the date of publication of this notification)”.  
.

[F. No. 13029/02/2019-PP-1]

ATISH CHANDRA, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301, dated the 27<sup>th</sup> February, 1971 and last amended *vide* number S.O. 2127(E), dated the 29<sup>th</sup> June, 2020.